मुन्तकिल धा.60 प्र.दि. 17/3/2018

2/5/18

भवानी सिंह बनाम रामवती

2/6/18 पत्रावली पेश हुई। वरिष्ठ प्रार्थी/अपील... अनु० पीठासीन अधिकारी ... में हैं। पत्रावली वास्ते .... को पेश हो।
26/7/18

26/7/18 पत्रावली पेश हुई। वरिष्ठ प्रार्थी/अपील ... अनु० पीठासीन अधि... ... में है। पत्रावली वास्ते .... को पेश हो।
6/9/18 रीडर

6/9/18

पत्रावली पेश हुई। वरिष्ठ प्रार्थी उप०। वरिष्ठ प्रार्थी ने निवेदन किया कि पीठासीन अधिकारी, ई.डी.ओ. नौगवां का स्थानान्तरण हो चुका है अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। ध्यान से पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि ई.डी.ओ. नौगवां का स्थानान्तरण हो चुका है अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिल करने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(वित्त) ... (...)

सेवामें,

Reader
9/4/18

न्यायालय जिला कलक्टर महोदय, अलवर राज0

1— भवानीसिंह पुंत्र सरजीतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कुतीना तहसील नीमराना जिला अलवर —प्रार्थी

बनाम

1— रामबाई पुत्री जयभगवान जाति राजपूत निवासी कुतीना हाल स्त्री भवंरसिंह शेखावत लोहाकना तहसील विराट नगर जिला जयपुर राज0

—— असल अप्रार्थी

2— राजेन्द्रसिंह पुत्र सरजीतसिंह जाति राजपूत

3— उम्मेद देवी स्त्री सरजीतसिंह जाति राजपूत निवासीयान ग्राम कुतीना तहसील नीमराना जिला अलवर राज0 ——तरतीवी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल किये जाने मुकदमा बअनुवान उम्मेद देवी बनाम रत्तीपालसिंह जेर तजवीज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिलाअलवर तारीख पेशी 09—04—2018

श्रीमानजी,

प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार पेश है:—

1— यह कि उपखण्ड अधिकारी की न्यायालय में दावा दायर किया गया था जो दावा बरूवे राजीनामा डिक्री कर दिया।

2— यह कि उक्त डिक्री को निरस्त कराने हेतु असल अप्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी नीमराना में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रार्थना पत्र गलत तथ्य दर्ज करते हुए प्रस्तुत किया है।

Scanned by CamScanner

3– यह कि उक्त प्रकरण में दिनांक 08–02–2018 की पेशी नियत थी उसके बाद 07–03–18 की नियत की गई थी।

4– यह कि 07–03–18 को वकीलो का कार्य स्थिगित होने के कारण सभी मुकदमो में 03–07–2018 की नियत कर दी गई।

5– यह कि मुकदमो में इकजाई पेशी लगने के बाद असल अप्रार्थी पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में गई तथा मुकदमे में पीठासीन अधिकारी महोदय ने आवाज लगवाई जिस पर प्रार्थी पीठासीन अधिकारी महोदय के समक्ष उपस्थित हुआ। पीठासीन अधिकारी महोदय ने मिन प्रार्थी से कहा कि मुकदमे में बहस करनी है इसलिए अपने वकील साहब को बुला कर लाओं जिस पर मिन प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी महोदय से निवेदन किया कि आज के सभी मुकदमों में 03–07–18 की नियत कर दी है तथा मिन प्रार्थी के वकील साहब न्यायालय में नही है ।

6– यह कि प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी महोदय से उक्त बात कहने पर पीठासीन अधिकारी महोदय ने असल अप्रार्थी से कहा कि तुम मुकदमें में नजदीक की तारीख पेशी के लिए प्रार्थना पत्र पेश कर दो तथा नजदीक की तारीख पेशी लगेगी मैं उसी दिन फैसला कर दूंगां। ये समस्त बाते पीठासीन अधिकारी महोदय ने मिन प्रार्थी के समक्ष कही है।

7– यह कि असल अप्रार्थी ने मुकदमे में नजदीक की तारीख पेशी हेतु प्रार्थना पत्र पश कर दिया जिसमें आगामी तारीख पेशी 09–04–18 की नियत की गई हैं।

Scanned by CamScanner

8— यह कि उक्त प्रकार मिन प्रार्थी को यह अंदेशा होगया है कि पीठासीन अधिकारी महोदय उसके विरूद्ध निर्णय करेगें। जिस स्थिति में यह प्रार्थना पत्र अविलम्ब नेक नियती से पेश किया जा रहा है।

9— यह कि प्रकरण उपखण्ड अधिकारी नीमराना की अदालत में विचाराधीन है इसलिए यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है।

10— यह कि प्रार्थना पत्र पर कोर्ट फीस एक रूपया चस्पा कर पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुकदमा बअनुवानी उम्मेददेवी बनाम रत्तीपाल जेर तजवीज न्यायालय उपखण्ड अधि ाकारी नीमराना से मुन्तकिल कर सुनवाई हेतु दीगर अदालत में मुन्तकिल किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे। आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थी

भवानीसिंह पुंत्र सरजीतसिंह जाति राजपूत निवासी

ग्राम कुतीना तहसील नीमराना जिला अलवर

Ramadhuray!

navdha

Scanned by CamScanner